



Government of India, Ministry of Railways
Railway Recruitment Board



CORRIGENDUM

Date of issue 15.08.2024

Centralized Employment Notice No. 04/2024

Recruitment for various posts of Paramedical categories published on Railway Recruitment Board website on 12.08.2024

1. The only vacancy notified for the post of Speech Therapist against Centralized Employment Notice No. 04/2024 is hereby cancelled as per the details given below.

Name of the post	Category No.	Railway Recruitment Board	Railway	Notified Vacancies
Speech Therapist	20	Bilaspur	S.E.C.Rly	01 (UR)

2. The above notified vacancy has been merged into the post of Audiologist & Speech Therapist (Category No.19) which will be included in the unreserved vacancy of RRB/Chandigarh.
3. After the above changes the vacancies in RRB/Chandigarh and RRB/Bilaspur will be as follows:

SN	RRB	Total Number of Vacancies
1	RRB/Bilaspur	47
2	RRB/Chandigarh	49

4. All other terms and conditions of Centralized Employment Notice No. 04/2024 will remain unchanged.

**Chairpersons
Railway Recruitment Board**

No. CEN No.04/2024/Paramedical

Date : 15.08.2024



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



शुद्धिपत्र

जारी करने की तिथि 15.08.2024
केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 04/2024

दिनांक 12.08.2024 को रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर प्रकाशित पारामेडिकल कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती ।

- केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 04/2024 के स्पीच थेरेपिस्ट पद के लिए अधिसूचित एकमात्र रिक्ति को निम्न दिए गये विवरण को रद्द किया जाता है ।

पद का नाम	कोटि संख्या	रेलवे भर्ती बोर्ड	रेलवे	अधिसूचित रिक्तियां
स्पीच थेरेपिस्ट	20	बिलासपुर	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	01 (अनारक्षित)

- उपरोक्त अधिसूचित रिक्ति को पद-ऑडियोलोजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट (कोटि संख्या-19) में समाहित कर दी गई है जो रे.भ.बो./चंडीगढ़ के अनारक्षित रिक्ति में शामिल रहेगी ।
- उपरोक्त बदलाव के उपरांत रे.भ.बो./चंडीगढ़ व रे.भ.बो./बिलासपुर के रिक्तियों का विवरण इस प्रकार होगा:

क्रमांक	रेलवे भर्ती बोर्ड	कुल रिक्तियों की सं.
1	रे.भ.बो./बिलासपुर	47
2	रे.भ.बो./चंडीगढ़	49

- केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 04/2024 के अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड

सं. के.रो.सू.सं.04/2024/पारामेडिकल

दि.15.08.2024